न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
338/2020	27–11–2020	02/08/2022

उनवान :–

01. मनीष कुमार पुत्र सतेसिंह जाति मेघवाल निवासी ग्राम पथरेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

————:: वादी

वनाम

01. सतेसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति मेघवाल निवासी ग्राम पथरेडी तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज.)
02. ग्राम पंचायत फकरूदीनका पंचायत समिति तिजारा जिला अलवर (राज.) जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत फकरूदीनका श्री अशोक कुमार

————:: असल प्रतिवादीगण

03. नरेन्द्र कुमार
04. विरेन्द्र कुमार पुत्रान सतेसिंह
05. मनीषा पुत्री सतेसिंह जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम पथरेडी जिला अलवर (राज.)

————:: तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद विरूद्ध असल प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 1.32 है0 में से 1/3 हिस्सा आराजी वाके ग्राम पथरेडी तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल हाल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 संलग्न वाद पत्र है। विवादित आराजी मिन वादी, तरतीवी प्रतिवादीगण की दादालाई की आराजी है, जिसमें मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का बाई वर्थ हक व अधिकार निहित है। मुताबिक जमाबन्दी विवादित आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 1.32 है0 में से 1/3 हिस्सा आराजी मिन वादी के पिता असल प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जे की खातेदारी की आराजी है, जो आराजी असल प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वज से विरासत में प्राप्त हुई है, जिस पर मिन वादी, तरतीवी प्रतिवादीगण काविज व दाखिल है। मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण, असल प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक एवं जायज वारिस है। मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण, असल प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र/पुत्री है। असल प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से प्राप्त उक्त विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 1.32 है0 में से 1/3 हिस्सा निहित है। विवादित आराजी में मिन वादी का 1/3 हिस्से में से 1/5 हिस्सा एवं इसी प्रकार तरतीवी

उपखण्ड अधि

तिवादीगण का असल प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से में से 1/5 हिस्सा निहित है। विवादित आराजी न वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को एनसेस्ट्रल प्रोपर्टी है, जिसमें मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का ई बर्थ हक व अधिकार निहित है। विवादित आराजी मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की दादालाई की राजी है। मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से की आराजी पर ाबिज व दाखिल चले आ रहे है। असल प्रतिवादी संख्या 1 जो कि चतुर एवं चालाक किस्म का व्यक्ति है, जसने मिन वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण की दादालाई की विवादित आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 1.32 0 में निहित अपने 1/3 हिस्सा में से 0.10 है0 आराजी का दानपत्र दिनांक 06.08.2020 को असल तिवादी संख्या 2 के नाम बिना मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की सहमति व जानकारी के करा दिया । जबकि विरासत में प्राप्त हुई आराजी का दानपत्र नहीं कराया जा सकता है, बावजूद इसके असल तिवादी संख्या 1 ने छलकपट व धोखाधडी से असल प्रतिवादी संख्या 2 के साथ साजवाज होकर तथाकथित दानपत्र बिना मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की सहमति के तैयार किया है, जो दानपत्र ारम्भ से ही शून्य है तथा हकूक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण बातिल वो बेअसर है। असल प्रतिवादीगण द्वारा छलकपट व धोखाधडी से बिना वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की सहमति के तैयार किये गये तथा कथित दान पत्र मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के विवादित आराजी में वाई वर्थ निहित हक हकूको के खिलाफ प्रारम्भ से ही शून्य घोषित कराकर मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण अपने आप को विवादित आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 1.32 है0 के असल प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 भाग में से 1/5–1/5 भाग का स्वयं को खातेदार काश्तकार का अंकन कराने के अधिकारी है, जिस हेतु यह वाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश करना लाजिम आया है। असल प्रतिवादीगण ने जो तथाकथित दान पत्र दिनांक 06.08.2020 को तैयार कराया है, उसकी जानकारी मिन वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को पूर्व में नहीं थी, जिसकी जानकारी मिन वादी को तब हुई जब घर में असल प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 07.10.2020 को उक्त दानपत्र का जिक्र किया, जिस पर मिन वादी ने उपपंजीयक महोदय, भिवाडी से उक्त दानपत्र की नकल प्राप्त की ओर असल प्रतिवादीगण से दिनांक 14.10.2020 को तथाकथित दानपत्र को रद्द कराने के लिए कहा तो असल प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ तौर पर इन्कार कर दिया और असल प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त दादालाई की विवादित आराजी को अन्यत्र जगह उचे दामों में मुन्तकिल करने की धमकी दी और असल प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त आराजी को दानपत्र के आधार पर अपने नाम उक्त तथाकथित दानपत्र के आधार पर दर्ज राजस्व रिकार्ड कराने की धमकी दी, यदि असल प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को अजहद हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में आंकी जाना संभव नहीं है, हकूक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण पर आवरण छा जावेगा एवं दीगर मुकदमेंबाजी में फसला पडेगा, इसलिए मिन वादी, असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के अधिकारी है। डिक्री इश्तकरारहक पारित की जाकर वाके ग्राम पथरेडी तहसील तिजारा हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी की दादालाई की आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 1.32 है0 के 1/3 भाग में से जो दानपत्र असल प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण की सहमति व जानकारी के असल प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दिनांक 06.08.2020 को

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

...या है उसे शून्य घोषित किया जावे तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 1.32 है0 के 1/3 ...ग में से 1/5 भाग का वादी व 1/5-1/5 भाग का तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार ...षित किया जावे तथा इसी प्रकार वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम खातेदार काश्तकार का अंकन ...या जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। असल ...तिवादी सं0 1 व 2 उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब दावा में निवेदन किया है कि ...रिये रजि0 क्रमांक 202003111102124 दिनांक 06.08.2020 को वाके ग्राम पथरेडी के आराजी खसरा नम्बर ...3 हिस्से में से द्वारा दानपत्र के सतेसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति मेघवाल द्वारा ग्राम पंचायत फकरूदीनका को ...न की गई थी। मौके पर उक्त आराजी में आवासीय मकानात बने हुऐ है तथा दानकर्ता की उक्त आराजी ...एक आराजी है। माननीय न्यायालय का फैसला मान्य होगा। अन्य तरबीबी प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे।

वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र मनीष कुमार पुत्र सतेसिंह जाति मेघवाल निवासी पथरेडी, ...अशोक पुत्र जग्गू जाति मेघवाल निवासी ग्राम पथरेडी, महेन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति मेघवाल निवासी पथरेडी ...पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल दानपत्र दिनांक 06.08.2020 (प्रदर्श-1), जमाबन्दी संवत् 2073-2076 (प्रदर्श-2), नामान्तकरण संख्या 128 (प्रदर्श-3), जमाबन्दी संवत् 2047 (प्रदर्श-4) पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किये गये। कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अन्तरण धारा 41 के कोई भी खातेदार काश्तकार धारा 42 व 43 में दिये गये प्रतिबंधों के अलावा अपनी कृषि भूमि का अन्तरण कर सकता है। विक्रय दान वसीयत पर प्रतिबन्ध धारा 42 (ख) के अनुसार कोई भी खातेदार काश्तकार यदि

01. अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो वह अनुसूचित जनजाति को ही विक्रय, दान या वसीयत कर सकता है।
02. अनुसूचित जाति का सदस्य है तो वह अनुसूचित है तो वह अनुसूचित जाति को ही विक्रय, दान या वसीयत कर सकता है।
03. सहारिया जनजाति का सदस्य है तो वह सहारिया को ही विक्रय दान वसीयत कर सकता है।

(अर्थात् उपरोक्त तीनो शर्तो के उलघंन में किया गया विक्रय दान वसीयत शुन्य माना जावेगा)

अपने बहस के समर्थन में Rajasthan high Court Jaipur Banwari lal V/s Anand & ors. Civil Rivison Petition 138/2009 and Rajasthan high Court Jaipur V.A Friend shop salar Park pvt. Ltd. V/s State of rajasthan D.B. civil Writ petition 5822/2011 पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादी
या 1 अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण जो दानपत्र ग्राम पंचायत फकरूदीनका के हक में
या गया है व शून्य करार दिये जाने योग्य है।

अत: वादी की वाद डिक्री किया जाकर हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 1.32 है0 में से 1/3 भाग में
जो दानपत्र दिनांक 06.08.2020 को किया गया है उसे शून्य करार दिया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०